कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 4

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		548.50	85.62	634.12	528.10	81.45	609.55	578.50	87.03	665.53
पूंजी		*17.00*	*2.10*	*19.10*	*1.51*	*0.60*	*2.11*	*1.50*	*0.60*	*2.10*
जोड़		**565.50**	**87.72**	**653.22**	**529.61**	**82.05**	**611.66**	**580.00**	**87.63**	**667.63**
1. प्रधानमंत्री की रोजगार योजना	2851	193.50	...	193.50	193.50	...	193.50	152.10	...	152.10
खादी तथा ग्रामोद्योग										
2 स्वादी तथा ग्रामोद्योग आयोग										
2.01 स्वादी उद्योग	2851	106.30	52.25	158.55	106.30	50.57	156.87	70.65	55.01	125.66
2.02 अन्य ग्रामोद्योग	2851	86.70	...	86.70	42.70	...	42.70	79.20	1.00	80.20
	जोड़	*193.00*	*52.25*	*245.25*	*149.00*	*50.57*	*199.57*	*149.85*	*56.01*	*205.86*
3.. नारियल जटा उद्योग	2851	17.90	5.01	22.91	11.50	2.52	14.02	15.20	2.66	17.86
	3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
	6851	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
	जोड़	*18.00*	*5.11*	*23.11*	*11.60*	*2.62*	*14.22*	*16.20*	*2.76*	*18.96*
4 ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता										
4.01 स्वादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (स्वादी उद्योग)	2851	19.00	23.00	42.00	19.00	23.00	42.00	19.00	23.00	42.00
4.02 स्वादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (अन्य ग्रामोद्योग)	2851	5.00	5.36	10.36	5.00	5.36	10.36	5.00	5.36	10.36
	जोड़	*24.00*	*28.36*	*52.36*	*24.00*	*28.36*	*52.36*	*24.00*	*28.36*	*52.36*
5. ग्रामीण रोजगार सृजक कार्यक्रम-उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	2851	120.00	...	120.00	150.00	...	150.00	177.60	...	177.60
6. राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम	2851	...	...	...	...	...	...	0.90	...	0.90
7. सांविधिक निकायों के गैर-आयोजना ऋण										
7.01 खादी और ग्रामोद्योग आयोग	6851	...	2.00	2.00	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
8. खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए ऋण	6851	17.00	...	17.00	1.51	...	1.51	1.35	...	1.35
9. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	57.85	...	57.85
	4552	...	...	...	...	...	...	0.15	...	0.15
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*58.00*	*...*	*58.00*
कुल जोड़		***565.50***	***87.72***	***653.22***	***529.61***	***82.05***	***611.66***	***580.00***	***87.63***	***667.63***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
ग्राम और लघु उद्योग										
8.01 के.वी.आई.सी. - स्वादी उद्योग	12851	15.00	...	15.00	1.50	...	1.50	1.34	...	1.34
8.02 के.वी.आई.सी.- अन्य ग्राम उद्योग	12851	2.00	...	2.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		**17.00**	**...**	**17.00**	**1.51**	**...**	**1.51**	**1.35**	**...**	**1.35**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	565.50	...	565.50	529.61	...	529.61	522.00	...	522.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	58.00	...	58.00
जोड़		**565.50**	**...**	**565.50**	**529.61**	**...**	**529.61**	**580.00**	**...**	**580.00**

1 **प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई):** शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य योग्य युवाओं को उद्योग, सेवा और कारोबार क्षेत्र में स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना करने में सहायता देना है। इसमें आठवीं योजना के दौरान 7 लाख वृहत उद्यमों की परिकल्पना की गई थी।

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना स्व-रोजगार उद्यमों को स्थापना करने में वित्तीय और अन्य उद्यम विकास सहायता प्रदान करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार सृजन की एक मुख्य केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में उभर कर आई है। योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत आठवीं योजना के दौरान इसके प्रारम्भ होने से लेकर अब तक 7,74 लाख व्यक्तियों को ऋणों की मंजूरी दी गई है।

यह योजना नवीं योजना के दौरान भी लागू है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1997- 98 से 2000 - 01 के दौरान 10.21 लाख व्यक्तियों को ऋणों की मंजूरी दी जा चुकी है। वर्ष 2001-2002 के दौरान जून, 2001 तक और 0.10 लाख व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए हैं। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए 2.20 लाख लाभानुभोगियों का प्रत्याशित लक्ष्य है।

2. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत आयोग की स्थापना ग्रामीण जनता के लिए अधिक रोजगार सृजन करने की दृष्टि से खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, उनके आयोजन तथा कार्यान्वयन के लिए की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी पर त्यौहार के मौसम के दौरान पोली वस्त्र सहित खादी और खादी उत्पादों पर छूट प्रदान करने के लिए, परिसरों की खरीद/किराए पर लेने, विज्ञापन और प्रचार, नई डिजाइन आदि लागू करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय औद्योगिकीकरण के रूप में 1935 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित वर्धा संस्थान के उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है।

3. **नारियल जटा उद्योग:** इसके अन्तर्गत नारियल जटा उत्पादों के निर्यात संवर्धन सहित देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी व नारियल जटा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुदानों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में नारियल जटा उद्योगों के सहकारीकरण करने की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, छूट और मॉडल नारियल जटा ग्रामों और जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए योजना हेतु निधियां भी शामिल है।

4. **ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता**

4.01 **खादी व ग्रामोद्योग आयोग (खादी उद्योग):** खादी को ब्याज के बदले सब्सिडी प्रदान की जाती है।

4.02 **ग्रामोद्योग:** ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए सीमांत राशि स्कीम ने ब्याज सब्सिडी का स्थान ले लिया है।

5. **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम - उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन:** खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र से सम्बद्ध उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सन् 2000 तक खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 20 लाख अतिरिक्त रोजागर सृजन की सिफारिश की है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

7. **सांविधिक निकायों को आयोजना भिन्न ऋण**

7.01 **खादी और ग्रामोद्योग आयोग:** इसमें कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए अग्रिम देने के लिए व्यवस्था है।

8. **खादी और ग्रामोद्योगों के लिए ऋण**

खादी और कुटीर तथा ग्रामोद्योगों लिए के संवर्धन के जरिए ग्रामीण जनसंख्या के लिए अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

9. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओ/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान।